

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या: यू0 डी0-ए (3)-8/2007-II तारीख शिमला-2,

15.07.2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की आधेसूचना संख्या: यू0 डी0-ए (3)-8/2007-II, तारीख 9-11-2012 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक अरण्यपाल वन (ए.सी.एफ.ज.) को भी, जहां तक वन भूमि के अधिक्रमण के साथ-साथ अप्राधिकृत अधिभोग का सम्बन्ध है, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन वन मण्डल वृत्त कुल्लू, मण्डी, धर्मशाला, रामपुर, शिमला और नाहन में उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, तुरन्त प्रभाव से 31-3-2015 तक की अवधि के लिए कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए भी नियुक्त करती हैं।

आदेश द्वारा,

सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

15 07. 2014

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरी।

तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई तथा सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव (वन) हि0 प्र0 सरकार, शिमला।
2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल/वन्य प्राणी टालेण्ड शिमला।
3. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल/मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल, हि0 प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक राज्य वन विकास निगम कंसुम्पटी, शिमला-9
5. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल अधिक्रमण, रामपुर, शिमला एवं कुल्लू हि0 प्र0।
6. सहायक अरण्यपाल (वन) वन मण्डल/वृत्त कुल्लू, मण्डी, धर्मशाला, रामपुर, शिमला और नाहन।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

S/NIS
CFA/10

प्रमुख अ.पा.
पादकी सं. 1263
दिनांक 28/7/14

अवर सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(3)-8/2007-II, dated 11.07.2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
No. UD-A(3)-8/2007-II Dated Shimla-2, the 15.07.2014

NOTIFICATION

In continuation of this Department's Notification No. UD-A(3)-8/2007-II dated 9.11.2012 and in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the H.P. Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 (Act No. 22 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to also appoint the Assistant Conservators of Forests (ACFs) to perform the function of the Collector within their respective jurisdiction of Forest Division of Circle in Kullu, Mandi, Dharamshala, Rampur, Shimla and Nahan under the aforesaid Act for the period upto 31.3.2015 in so far as the encroachments as well as un-authorized occupation of Forest Land is concerned, with immediate effect.

By Order

Secretary (Urban Dev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. : As above. Dated Shimla-2, the 15.07.2014

Copy is forwarded to the following for information & necessary action :-

1. The Pr. Secretary (Forests) to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2.
2. The Principal Chief Conservator of Forest/wildlife, H.P., Shimla-1
3. All the Addl. CCFs/CFs in H.P.
4. The M.D., HPSFDC Ltd. SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9.
5. The DFO Encroachment, Rampur/Shimla/Kullu.
6. The Assistant Conservators of Forests (ACFs) Forest Division of Circle in Kullu, Mandi, Dharamshala, Rampur, Shimla and Nahan.
7. A.L.D.-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of HP.
8. Guard file.


Under Secretary (Urban Dev.) to the
Government of Himachal Pradesh.